

स्पीड-पोस्ट

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर

क्रमांक: प.स. 7(12)/प्र-1/आई.टी.सी./1765 वी.5/26430

दिनांक: 15-5-2012

SECRETARY,
RAJEEV GANDHI EDUCATION SOCIETY,
ADMINISTRATIVE BLOCK, N.L.C. BARSINGSAR,
DISTT. BIKANER

विषय:-आशय पत्र बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्रांक प.19(12)त.शि./2005 दिनांक: 09 मई 2012 के निर्देशानुसार आपके प्रस्तावित RAJEEV GANDHI PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, BARSINGSAR (BIKANER) हेतु निम्नलिखित विवरण अनुसार प्रस्तावित व्यवसाय/यूनिट को मानदण्डानुसार व्यवस्थित करने के आशय की अनुमति निम्न उल्लेखित नोट के अन्तर्गत इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि भारत सरकार द्वारा मान्यता देते समय या पश्चात भी/स्थानीय निकाय द्वारा भूमि संबंधी कोई आपत्ती दर्शाती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित ट्रस्ट/समिति की होगी। संस्था को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

मानदण्डानुसार व्यवस्थाए पूर्ण कर निरीक्षण प्रस्ताव, आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क सहित पत्रावली तैयार कर निदेशालय में शीघ्र प्रस्तुत करें।

S.No.	Trade	Units
1	Fitter	02
2	Electrician	02
3	Turner	02
4	Welder (Gas & Electric)	02
5	Wireman	02
6	Mechanic (Refrigeration and Air-Conditioner)	02
7	Horticulture	02
8	Corporate House keeping	02

यह आशय-पत्र सम्बन्धित पत्रावली पर निदेशक महोदय के अनुमोदन पश्चात् जारी किया जा रहा है।

नोट:-

- संस्थान/व्यवसाय की स्थापना संस्था को स्वयं के उपयुक्त भूमि/भवन पर करनी होगी। औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि/भवन की व्यवस्था डी.जी.ई.टी. भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी मानदण्ड अनुसार करनी होगी।
- उक्त व्यवसायों को 18 माह की अवधि में अधिकतम दो चरणों में पूर्ण कर NCVT से सम्बद्धन प्राप्त करना आवश्यक होगा अन्यथा 18 माह की समाप्ति के पश्चात् आगामी सत्र से उक्त उल्लेखित किसी भी व्यवसाय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- व्यवसायों के मानदण्डों में डी.जी.ई.टी. नई दिल्ली द्वारा यदि संशोधन किया जाता है तो नवीनतम संशोधन के अनुरूप व्यवस्था करनी होगी।
- प्रस्तावित व्यवसायों के मानदण्ड व औजार उपकरण की सूची निदेशालय की वेबसाइट dte.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- संस्थान के व्यवसायों/यूनिटों का प्राथमिक एवं एन.सी.वी.टी. संबंधन निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षणों में निर्धारित मानदण्डानुसार सही पाए जाने तथा डी.जी.ई.टी. भारत सरकार द्वारा संबंधन आदेश जारी करने उपरान्त डी.जी.ई.टी. भारत सरकार के निम्नलिखित दिशा-निर्देश अनुसार केन्द्र में प्रवेश की अनुमति विभाग द्वारा जारी की जावेगी।
 - The effective date of affiliation is the date on which the affiliation is granted by the Sub Committee of the NCVT for affiliation.
 - The trades/units of Institute granted affiliation by Sub Committee of NCVT dealing with affiliation between 1st January to 30th June will be effective for admission of trainees from August session of that year.
 - The trades/units of Institute granted affiliation by Sub Committee of NCVT dealing with affiliation between 1st July to 31st December will be effective for admission of trainees from February session of next year.
- केन्द्र में छात्र/छात्राओं के प्रवेश, विभाग द्वारा प्रवेश अनुमति दिये जाने के पश्चात् ही कर सकेंगे।

नोट: 1. दिशा निर्देश, निरीक्षण प्रपत्र III-A शपथ-पत्र,बन्धक-पत्र,समस्त टूल-लिस्ट, बैंक गारन्टी प्रारूप निदेशालय की वेब-साईट <http://dte.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।

भवदीय,



उप निदेशक प्रशिक्षण